न्यायालय समक्ष – माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

रेस्टा० 1520-II-CS

ग्रामीण जनता पाली पूर्व विधायिका शकुनतला प्रधान एवं अन्य ------सूचनाकर्ता/आवेदिकागण

बनाम

सवास्टियन जार्ज वगैरह ----- अनावेदकगण

पुर्नविलोकन

आवेदन पत्र किए जाने पुर्नस्थापित प्रकरण क्रमांक 225/III/15 दिनांक 30.04.2015

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 35 (3) सहपठित धारा 32 भू0रा0सं0 1959

माननीय

आवेदकगण आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करतें हैं कि :-

1. यहकि, माननीय न्यायालय में कलेक्टर उमरिया के द्वारा पूर्व पारित आदेश प्रकरण क्रमांक 366/अ–74/09–10 पारित आदेश दिनांक 27.07.2010 को पुर्नविलोकन में लिए जाने बावत् माननीय न्यायालय की अनुमति हेतु प्रकरण भेजा गया था।
2. यहकि, माननीय न्यायालय के द्वारा प्रकरण में अनावेदक की तलबी उपस्थिति के लिए प्रकरण नियत किया था। जिसमें अनावेदक की उपस्थिति हो चुकी थी। दिनांक 17.04.2015 को आवेदकगणों की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी एडवोकेट भी उपस्थित हो गए थे।
3. यहकि, माननीय न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण दिनांक 30.04.2015 को प्रकरण अद्म पैरवी में खारिज कर दिया गया।
4. यहकि, उक्त प्रकरण पुर्नविलोकन अनुमति के लिए कलेक्टर उमरिया के द्वारा शिकायत आवेदन प्राप्त होने पर पूर्व आदेश में त्रुटि होने के कारण सुनवाई के लिए अनुमति बावत् भेजा गया था। जिसमें माननीय न्यायालय को अनुमति दिए जाने पर विचार किया जाना था उसमें आवेदक की उपस्थिति अनिवार्य नहीं थी।
5. यहकि, आवेदकगणों ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया था बल्कि कलेक्टर उमरिया को शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत सही पाते हुए प्रकरण स्वमेव पुर्नविलोकन में लेने के लिए माननीय न्यायालय की अनुमति हेतु प्रकरण प्रेषित किया गया था। ऐसे प्रकरण में अद्म पैरवी का कोई प्रावधान नहीं है।

रेस्टो० 1520-II/15 जिला उन्नाव

29.7.15	आवेदक अभिभावक श्री के० के० द्विवेदी उपस्थित। उन्हें रेस्टोरेशन आवेदन पर सुना। अनुपस्थिति का कारण समाधानकारक प्रतीत होने से रेस्टोरेशन आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा मूल [illegible] वाद सं० 225-III/15 पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। सदस्य	29.7.15